

संख्या -021-एआईएस-1(2)
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कताभवन, जीपीओ काम्प्लैक्स,
ब्लाकए-, आईए.एन., नई दिल्ली-110023
दिनांक 23.02.2024

परिपत्र संख्या 06/02/24

.....

विषय:- सतर्कता निकासी मांगते समय कैडर नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अधिकारियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए संशोधित प्रोफार्मा - बिंदु संख्या 7 में संशोधन के संबंध में।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 16.03.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके माध्यम से संबंधित अधिकारी के पूर्व कार्यों पर विभागीय इनपुट दर्ज करने वाला 13 सूत्रीय प्रोफार्मा परिचालित किया गया है। 13 सूत्रीय प्रपत्र के बिंदु संख्या 7 में, अधिकारियों की सतर्कता स्थिति पर आयोग के इनपुट मांगने / मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अधिकारियों का तैनाती विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि अधिकारियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 13 सूत्रीय प्रारूप में से बिंदु संख्या 7 को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है: -:-

वर्तमान प्रावधान

7. धारित पद
(पिछले दस वर्षों के दौरान)

संशोधित प्रावधान

7. धारित पद जिसमें यह भी शामिल है कि क्या अधिकारी ने अंशकालिक या अतिरिक्त प्रभार क्षमता में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य किया है
(पिछले दस वर्षों के दौरान)

जारी/-

3. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की जानकारी और उनके उपयोग के लिए उपर्युक्त संशोधन के साथ निर्धारित प्रोफार्मा की एक प्रति संलग्न है।
4. यह आयोग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह०/-
(अनिर्बन बिस्वास)
अवर सचिव

प्रति,

- (i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव,
(ii) पोर्टल के अनुसार सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी (एनआईसी के माध्यम से),
(iii) प्रति- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, केन्द्रीय सतर्कता आयोग - आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने और पोर्टल के माध्यम से मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित।

ह०/-
(अनिर्बन बिस्वास)
अवर सचिव

उस अधिकारी का विवरण जिसके लिए सतर्कता निकासी /टिप्पणियाँ मांगी जा रही है

(मुख्य सतर्कता अधिकारी या विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और प्रस्तुत की जानी चाहिए)

1. अधिकारी का नाम (पूरा)
2. पिता का नाम
3. जन्मतिथि
4. सेवानिवृत्ति की तिथि
5. सेवा में प्रवेश की तिथि
6. सेवाजिससे अधिकारी संबंध रखता है

तथा बैच/वर्ष कैडर आदि, जहां भी लागू हो

7. धारित पद जिसमें यह भी शामिल है कि क्या अधिकारी ने अंशकालिक या अतिरिक्त प्रभार क्षमता में सीवीओ के रूप में कार्य किया है

(पिछले दस वर्षों के दौरान)

क्रम संख्या	संगठन (पूर्ण नाम)	पदनाम एवं तैनाती का स्थान	प्रशासनिक/नोडल मंत्रालय/ संबंधित विभाग (पीएसयू आदि के अधिकारियों के मामले में)	से	तक

दिनांक::

(नाम और हस्ताक्षर)

उन अधिकारियों का सतर्कता प्रोफ़ाइल जिनके लिए सतर्कता निकासी/टिप्पणियाँ मांगी जा रही है

(मुख्य सतर्कता अधिकारी या विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

अधिकारी का नाम

8. क्या अधिकारी को "सहमत सूची" या "संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारी की सूची" में रखा गया है। (यदि हाँ, तो विवरण दिया जाए)
9. क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता दृष्टिकोण से वाले कदाचार के किसी आरोप की जाँच की गई थी और यदि हाँ, तो क्या परिणाम मिले (*)
10. क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई शास्ति दी गई थी और यदि हाँ, तो शास्ति लगाने की तिथि और शास्ति का विवरण (*)
11. क्या आज तक अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही या आरोप पत्र लंबित है। [यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत किया जाए-आयोग की संदर्भ संख्या, यदि कोई हो, तो उस भी दें]
12. क्या आज तक अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई अपेक्षित है [यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत किया जाए (*)]
13. क्या अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता

दृष्टिकोण की कोई शिकायत लंबित है
[यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत किया जाए]।

दिनांक:

(नाम और हस्ताक्षर)

(*) यदि पूर्व में आयोग से सतर्कता निकासी प्राप्त की गई थी, तो उसके बाद की अवधि के लिए जानकारी प्रदान की जाए।

